छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 10 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-2020 **पटल पर रखा ।**

3. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा एवं अन्य सदस्यों ने केन्द्र सरकार के आयकर विभाग की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उनके सहयोग में लगे वाहनों को जब्त किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना नियमानुसार नहीं होने के कारण कक्ष में अग्राह्य कर दी है ।

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.14 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री धरमलाल कौशिक (अनुपस्थित), डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य ने बिलासपुर जिले की अरपा नदी का पानी प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री संतराम नेताम, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई ।

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने बालको थाना अंतर्गत निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर जिले में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गुरु रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नारायण चन्देल, सदस्य ने जांजगीर चांपा जिले में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर हितग्राहियों की भूमि का मुआवजा दिये बिना सड़क निर्माण किये जाने,

(2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किये जाने,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की)

(3) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने किसानों की कृषि जमीन को धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री किये जाने,

(4) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर से व्यापार विहार वाली सड़क का निर्माण कार्य बहुत धीमा होने, तथा

(5) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों के उपयोग पर रोक लगाये जाने ठोस पहल करने,

संबंधी सूचना पढ़ी ।

अपरान्ह 01.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 मार्च,2020 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा